I/48480/2022

शहरी विकास अनुभाग-2

संख्या- 48480/IV(2)-श0वि0-2022-47(सा0)/2021

देहरादून: दिनांक: 07 जुलाई,2022

कार्यालय ज्ञाप

शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णयानुसार शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनाओं यथा, अमृत, अमृत-2.0, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन-2.0 तथा यू0यू0एस0डी0ए0 (Uttarakhand Urban Sector Development Agency) द्वारा वाह्य सहायितत कार्यक्रमों के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित समस्त अवस्थापकीय योजनाओं के सकुशल कियान्वयन किये जाने के उद्देश्य से सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नानुसार 'जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं परामर्श समिति' का गठन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं परामर्शीय समिति

क0सं0	पदनाम	समिति के अन्तर्गत पदनाम
1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3	नगर आयुक्त/सहायक नगर आयुक्त/ अधिशासी अधिकारी नगर पालिका एवं नगर पंचायत/नगरीय परियोजना प्रबन्धक, यू0यू0एस0डी0ए0	सदस्य-सचिव
4	अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड जल संस्थान	सदस्य
5	अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम	सदस्य
6	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
7	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग	सदस्य
8	अन्य विभागीय अधिकारीगण (विशेष आमंत्रित सदस्य)	सदस्य

2- उपरोक्त वर्णित योजनाओं के सापेक्ष जिन योजनाओं का कियान्वयन नगर निकायों के स्तर से किया जा रहा है उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित जनपद मुख्यालय के नगर आयुक्त/सहायक नगर आयुक्त सदस्य-सचिव होंगे और जहां जनपद मुख्यालय में नगर निगम नहीं हैं, उन जनपदों में जनपद मुख्यालय की नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी सदस्य-सचिव होंगे। यू0यू0एस0डी0ए0 की योजनाओं हेतु सम्बन्धित जनपद के नगरीय परियोजना प्रबंधक सदस्य-सचिव होंगे।

3- समिति की बैठक प्रतिमाह आहूत की जायेगी तथा बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी अथवा मुख्य विकास अधिकारी द्वारा की जायेगी।

4- समिति द्वारा निम्न कार्य सम्पादित किये जायेंगे:-

1. सामिति द्वारा अमृत, अमृत 2.0, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन-2.0 तथा यू0यू0एस0डी0ए0 द्वारा वाह्य सहायतित कार्यक्रमों के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित परियोजनाओं की भौतिक प्रगति, कार्यों की गुणवत्ता, कार्यों को निर्धारित समय पर पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में निरन्तर मासिक समीक्षा करना।
2. परियोजनाओं के सकुशल कियान्वयन के सम्बन्ध में विभिन्न हितधारकों (Stakekholders)से प्राप्त सुझावों का परीक्षण करते हुए उक्त सुझावों को परियोजना में समावेश किये जाने हेतु सुझाव प्रदान करना।
3. परियोजना निर्माण के दौरान आम नागरिकों को होने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु अन्तर विभागीय समान्जस्य स्थापित कर यथोचित कार्यवाही करना।
4. समिति द्वारा बैठक का कार्यवृत्त मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन/अपर मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग/अवस्थापना विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड/निदेशक, शहरी विकास विभाग/कार्यक्रम निदेशक, यू0यू0एस0डी0ए0 का प्रेषित किया जायेगा।

5– उपरोक्त के अतिरिक्त समिति द्वारा समय–समय पर शासन द्वारा सौंपे गये कार्यदायित्वों का निर्वहन किया जायेगा।

Signed by Sukhbir Singh Sandhu
Date: 07-07-2022 20:23:23
(सुखबीर सिंह संधु)
मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव/स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. कार्यक्रम निदेशक, यू0यू0एस0डी0ए0, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, समस्त जनपद उत्तराखण्ड।
5. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद उत्तराखण्ड।
6. नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उत्तराखण्ड।
7. अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत उत्तराखण्ड।
8. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
9. प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
10. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
11. महाप्रबंधक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आनन्द बर्धन)
अपर मुख्य सचिव।